

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

116 / 2017
18.12.2017

रामस्वरूप पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
राज०

—अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा
दिनांक 09.03.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री राकेश चोपडा, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 15.02.2018

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2017 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 1925 रकबा 1.24 है० किस्म सिवायचक वाके ग्राम उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरित होने व बिना तथ्यों का विवेचन एवं मनन किये ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलांत की प्रोपर तामिल कराये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। अपीलांत को हल्का पटवारी से किसी तरह की कोई जिरह करने का अवसर दिया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके के जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि वास्तविक में उक्त भूमि राजकीय भूमि नहीं है। अपीलांत ने किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। भूमि खसरा नम्बर 1925 का रकबा बहुत बड़ा है तथा उक्त भूमि पर किस भाग पर अपीलांत का कब्जा है, किस मिसल द्वारा पूर्व में अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है अंकित नहीं है उक्त आदेश प्रिन्टेड फार्म पर अंकित किया है, जो स्पिकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है।


अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम उनियारा के खसरा नम्बर 1925 रकबा 1.24 है० भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.02.2016 से बेदखल किया गया है। इससे सिद्ध है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मैंने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार उनियारा यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोक
टोक